

पत्रांक-श्रम क०सं०-63/2025 (अंश)-377

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अन्तर्गत श्रम अधीक्षक, शेखपुरा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 03 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से रु० 6,00,000/- (छः लाख रूपए) एवं 05 स्वामाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि रु० 8,50,000/- (आठ लाख पचास हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पता, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबन्ध)/ दावेदार/आठ नं०	अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मो० नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःसंस्कृतता/ जसम्ब्य रोग का शीघ्र, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० नवल महतो, 63, लक्ष्मी महतो, पिछड़ा वर्ग	भाषो देवी, (पत्नी)	18 08.01.2026	ग्रा०+पो०-गवय, था०-हथियावाँ, प्र०-शेखपुरा सदर, जिला-शेखपुरा 8207585870	71000212 0001863	UBI UBIN0571 008	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, ईट निर्माण में मजदूर का कार्य
2	स्व० राजीव कुमार, 36, स्व० मित्तु चौधरी, अनु० जाति	संजु देवी, (पत्नी)	19 08.01.2026	ग्रा०+पो०-डीहकुसुम्मा, था०-कोरमा, प्र०-ए।ए.कुसुम्मा, जिला-शेखपुरा 8797185579	87211080 00088	CANRA BANK CNRB000 8721	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, ईट निर्माण में मजदूर का कार्य
3	स्व० राकेश पासवान, 36, रामेश्वर पासवान, अनु० जाति	रानी देवी, (पत्नी)	20 08.01.2026	ग्रा०-बनबीघा, पो०+था०-बरबीघा, प्र०-बरबीघा, जिला-शेखपुरा, 9508711761	05550001 10115516	PNB PUNB0055 500	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्पर का कार्य
4	स्व० राजकुमार, 39, चंद्रशेखर सिंह, अनु० जाति	मुन्नी देवी, (पत्नी)	25 10.01.2026	ग्रा०+पो०-गवय, था०-हथियावाँ, प्र०-शेखपुरा सदर, जिला-शेखपुरा 8102658940	36728149 574	SBI SBIN0003 002	रु० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूर का कार्य
5	स्व० बबीता देवी, 38, टोहल पासवान, अनु० जाति	टोहल पासवान, (पति)	90 28.01.2026	ग्रा०-गिरिहिण्डा, पो०+था०-शेखपुरा, प्र०-शेखपुरा, जिला-शेखपुरा 7488765721	43232356 817	SBI SBIN0003 002	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, कृषि मजदूर का कार्य
6	स्व० उपेन्द्र चौधरी, 45, धनशेर चौधरी, अनु० जाति	लीला देवी, (पत्नी)	91 28.01.2026	ग्रा०-बैकठपुर, पो०-विमान, था०+प्र०-अरियरी, जिला-शेखपुरा 7979034645	31890503 41	CBI CBIN02841 06	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु, पत्थर तोड़ने में मजदूर का कार्य
7	स्व० धीरज कुमार, 21, अवधेश राम, अत्यंत पि० वर्ग	जीतनी देवी, (माता)	92 28.01.2026	ग्रा०+पो०+था०-मेहुस, प्र०-शेखपुरा सदर, जिला-शेखपुरा 9199221635	33030131 379929	DBGB PUNB0M BGB06	रु० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्पर का कार्य
8	स्व० साहिल कुमार, 21, दिनेश चौधरी, अनु० जाति	जयमन्ती देवी, (माता)	98 28.01.2026	ग्रा०-बिहटा, था०-हथियावाँ, प्र०-शेखपुरा सदर, जिला-शेखपुरा 9155641598	54691080 00667	CANRA BANK CNRB000 5469	रु० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्पर का कार्य

कुल:- रु० 8,50,000/-

(आठ लाख पचास हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं0 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं0 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-63/2025 (अंश)-377

पटना, दिनांक :- १६/१३/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं0 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 8,50,000/- (आठ लाख पचास हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, शेखपुरा/उप श्रमायुक्त, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

20/03/2026
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
Signed by Rajesh Bharti
(राजेश भारती) Date: 20-03-2026 13:31:19
कार्यकारी निदेशक